

**विषय : नाइलिट में विभिन्न पदों के लिए अधिसूचित भर्ती नियमों की अपलोडिंग के बारे में।**

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एबीसी प्रभाग से दिनांक 13 मार्च, 2015 के पत्र सं. 7(1)/2015-एबीसीडी प्राप्त हुआ है जिसके साथ प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अधीन विभिन्न पदों के अधिसूचित भर्ती नियमों को अपलोड किए जाने के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 फरवरी 2015 के पत्र सं. एबी-14017/61/2008-स्था.(आरआर) की एक प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 27 फरवरी 2015 के उक्त पत्र के द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों को मंत्रालयों के अन्तर्गत संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करने के निदेश दिए हैं।

2. नाइलिट के वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों के निम्नलिखित भर्ती नियमों को अधिशासी परिषद की क्रमशः 8 अक्टूबर, 2013 तथा 29 नवम्बर 2014 को आयोजित 31वीं/32वीं बैठक में अनुमोदित किया गया (कार्यवृत्त की मद सं. 32.2) :

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन मान तथा ग्रेड वेतन
<b>वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद</b>		
01.	वैज्ञानिक/इंजीनियर - 'डी'/संयुक्त निदेशक	वेतन बैंड 3: रु.15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु.7600
02.	उप निदेशक (सिविल)	वेतन बैंड 3 : रु.15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु.6600
03.	वैज्ञानिक सी (विपणन)	वेतन बैंड 3 : रु.15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु.6600
04.	वैज्ञानिक/इंजीनियर - 'सी'/उप निदेशक	वेतन बैंड 3 : रु.15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु.6600
05.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-'बी'/सहायक निदेशक	वेतन बैंड 3 : रु.15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु.5400
06.	तकनीकी सहायक	वेतन बैंड 1 : रु. 5200-20,200 ग्रेड वेतन रु.2400
07.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	वेतन बैंड 1 : रु.5200-20,200 ग्रेड वेतन रु.1900
<b>गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद</b>		
01.	उप निदेशक (विधि)	वेतन बैंड 3 : रु. 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु. 6600
02.	सहायक निदेशक (डीबी)	वेतन बैंड 3 : रु. 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु. 5400
03.	सहायक निदेशक (प्रशा.)	वेतन बैंड 3 : रु. 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु. 5400
04.	सहायक निदेशक (वित्त)/लेखा अधिकारी	वेतन बैंड 3 : रु. 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु. 5400
05.	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैंड 2 : रु. 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रु. 4600
06.	वित्त अधिकारी	वेतन बैंड 2 : रु. 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रु. 4600
07.	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	वेतन बैंड 2 : रु. 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रु. 4200
08.	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	वेतन बैंड 2 : रु. 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रु. रु. 4200
09.	स्वागतकर्ता/फ्रंट ऑफिस परामर्शकर्ता	वेतन बैंड 2 : रु. 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रु. 4200
10.	सहायक (लेखा)	वेतन बैंड 1 : रु. 5200-20,200 ग्रेड वेतन रु. 2400
11.	सहायक	वेतन बैंड 1 : रु. 5200-20,200 ग्रेड वेतन रु. 2400
12.	आशुलिपिक	वेतन बैंड 1 : रु. 5200-20,200 ग्रेड वेतन रु. 2400
13.	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैंड 1 : रु. 5200-20,200 ग्रेड वेतन रु. 1900

2.1 निम्नलिखित पदों के भर्ती नियमों का मसौदा तैयार किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया :

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन मान तथा ग्रेड वेतन
01.	कार्यकारी निदेशक	रु. 18,400-500-22,400 (संशोधन पूर्व) वेतन बैंड 4 : रु. 37,400-67,000 ग्रेड वेतन रु. 10000 (संशोधित)
02.	निदेशक	रु. 18,400-500-22,400 (संशोधन पूर्व) वेतन बैंड 4 : रु. 37,400-67,000 ग्रेड वेतन रु. 10000 (संशोधित)

2.2 निम्नलिखित वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों के भर्ती नियमों को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी द्वारा अनुमोदित किया गया :

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन मान तथा ग्रेड वेतन
01.	निदेशक	रु. 16,400-450-20,000 (संशोधन पूर्व) वेतन बैंड 4 : रु. 37,400-67,000 ग्रेड वेतन रु. 8900 (संशोधित)
02.	मुख्य परीक्षा नियंत्रक	रु. 16,400-450-20,000 रु. (संशोधन पूर्व) वेतन बैंड 4 : रु. 37,400-67,000 ग्रेड वेतन रु. 8900 (संशोधित)
03.	मुख्य वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक	रु. 12,000-375-16,500 (संशोधन पूर्व) वेतन बैंड 3: रु. 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु. 7600 (संशोधित)
04.	रजिस्ट्रार	रु. 12,000-375-16,500 (संशोधन पूर्व) वेतन बैंड 3 : रु. 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु. 7600 (संशोधित)
05.	हिन्दी टंकक (कार्यालय सहायक-III)	वेतन बैंड 1 : रु. 5200-20,200 ग्रेड वेतन रु. 1900
06.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	रु. 5000-150-8000 (संशोधन पूर्व) वेतन बैंड 2 : रु. 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रु. 4200 (संशोधित)
07.	हिन्दी अधिकारी	रु. 6,500-200-10,500 (संशोधन पूर्व) वेतन बैंड 2: रु. 9,300-34,800 ग्रेड वेतन रु. 4600 (संशोधित)

3. उपर्युक्त भर्ती नियमों के सेट एक प्रतिलिपि संलग्न है।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, नाइलिट के सूचना प्रौद्योगिकी विंग से अनुरोध है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नाइलिट के कर्मचारियों के विभिन्न पदों (वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी) के अधिसूचित भर्ती नियमों को नाइलिट की वेबसाइट पर अधिक पारदर्शिता के लिए अपलोड किया जाए।

हस/-

(बी.एन. चौधुरी)

अपर निदेशक (का. एवं प्र.) तथा रजिस्ट्रार

20.05.2015

श्री शमीम खान  
संयुक्त निदेशक (प्रणाली)  
नाइलिट मुख्यालय

नाइलिट

भर्ती नियम - वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु. में)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
वैज्ञानिक/ इंजीनियर- 'डी'/ संयुक्त निदेशक	22*	वर्ग 'क'	<b>वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन</b> वेतन बैंड 3: 15,600-39,100 रु.; ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं	40 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/ सूचना प्रौद्योगिकी/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं यंत्रिकरण/इलेक्ट्रॉनिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार में प्रथम श्रेणी में नियमित बीई/बी.टेक, एम.एस.सी (इलेक्ट्रॉनिकी/अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी/ भौतिकी) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से प्रथम श्रेणी में समकक्ष* अर्हता</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार/ इलेक्ट्रॉनिकी में प्रथम श्रेणी में एम.टेक/एमई या वीएलएसआई डिजाइन, सूचना सुरक्षा, अन्तर्निर्मित प्रणाली डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरी, कृत्रिम बुद्धि, नेटवर्किंग आदि जैसे सीएस/आईटी/ईसी/इलेक्ट्रॉनिकी में विशेषज्ञता अथवा समकक्ष*</p> <p>अथवा</p> <p>(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी, ईईईई, ईएण्डआई एवं संचार/इलेक्ट्रॉनिकी तथा इसके संबद्ध क्षेत्रों जैसे कि कृषि इलेक्ट्रॉनिकी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी, विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी आदि में पीएचडी या वीएलएसआई डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरी, कृत्रिम बुद्धि, नेटवर्किंग जैसे सीएस/आईटी/ईसी/इलेक्ट्रॉनिकी में विशेषज्ञता अथवा समकक्ष*</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>अर्हता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में अनुभव</p> <p>क से लिए 8 वर्ष</p> <p>ख के लिए 6 वर्ष</p> <p>ग के लिए 4 वर्ष</p>	लागू नहीं

\*(प्रणाली प्रबंधक=03, पीडीई/प्रधान प्रणाली विश्लेषक/ वैज्ञानिक 'डी'=19)

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती/अवशोषण जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b> कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/ सूचना प्रौद्योगिकी/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं यंत्रिकरण/इलेक्ट्रॉनिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार में बीई/बी.टेक/ एम.एस.सी (इलेक्ट्रॉनिकी/ अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी/भौतिकी) या समकक्ष* तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव  केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी : i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा ii) 6600/- के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर 05 वर्षों से पद पर कार्यरत हो।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b> (i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक : अध्यक्ष केन्द्र के मामले में निदेशक (ii) डीईआईटीवाई या इसके किसी घटक : सदस्य कार्यालय से वैज्ञानिक 'एफ' से अन्यून स्तर के दो वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी (iii) संबंधित क्षेत्र में दो बाहरी विशेषज्ञ : सदस्य जो भारत सरकार में 8900/- रु. अथवा उससे अधिक के ग्रेड वेतन के पद पर कार्यरत हों, जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा उपर्युक्त में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।  <b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के तीन सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

नाइलिट

भर्ती नियम - वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
उप निदेशक (सिविल)		वर्ग 'क'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 3: रु. 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु. 6600	चयन	लागू नहीं	45 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में नियमित बीई/बी.टेक (सिविल), बी. आर्क अथवा समकक्ष डिग्री अथवा</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में नियमित एमई/एम.टेक (सिविल), बी. आर्क अथवा समकक्ष डिग्री</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>अर्हता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में अनुभव</p> <p>(क) के लिए 5 वर्ष</p> <p>(ख) के लिए 3 वर्ष</p>	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सीधी भर्ती/अवशोषण जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> बी.ई/बी.टेक (सिविल) तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव  केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :  i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा ii) निम्नलिखित ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर धारित पद  i) ग्रेड वेतन 5400/- रु. : 05 वर्ष ii) ग्रेड वेतन 4800/- रु. : 06 वर्ष	<b>चयन समिति का गठन :</b> (i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक केन्द्रों के मामले में निदेशक : अध्यक्ष (ii) डीईआईटीवाई या इसके किसी घटक कार्यालय से वैज्ञानिक 'ई' से अन्यून स्तर का एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी : सदस्य (iii) नाइलिट के वैज्ञानिक 'ई' से अन्यून स्तर का एक अधिकारी : सदस्य (iv) संबंधित क्षेत्र में दो बाहरी विशेषज्ञ जो भारत सरकार में निदेशक के स्तर से अन्यून हो, जिनका नामांकन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाएगा : सदस्य <b>टिप्पणी :</b> उपर्युक्त में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए। <b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के तीन सदस्य	लागू नहीं

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

नाइलिट

भर्ती नियम - वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
वैज्ञानिक 'सी' (विपणन)		वर्ग 'क'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 3: रु. 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रु. 6600	चयन	लागू नहीं	45 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं यंत्रिकरण में प्रथम श्रेणी में नियमित बीई/बी.टेक/एम.एस.सी (इलेक्ट्रॉनिकी/अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी/ भौतिकी) अथवा समकक्ष जिसके पश्चात किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से प्रथम श्रेणी में एमबीए (विपणन) की डिग्री।</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार/ इलेक्ट्रॉनिकी ईईईई, ईएण्डआई में एम.टेक/एमई या वीएलएसआई डिजाइन, सूचना सुरक्षा, अन्तर्निर्मित प्रणाली डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरी, कृत्रिम बुद्धि, नेटवर्किंग आदि जैसे सीएस/आईटी/ईसी/इलेक्ट्रॉनिकी में विशेषज्ञता अथवा समकक्ष* में प्रथम श्रेणी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से प्रथम श्रेणी में एमबीए (विपणन) की डिग्री।</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>अर्हता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में अनुभव</p> <p>(क) के लिए 3 वर्ष</p> <p>(ख) के लिए 1 वर्ष</p>	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण द्वारा	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं यंत्रिकरण में बीई/बी.टेक/ एम.एस.सी (इलेक्ट्रॉनिकी)/अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी/ भौतिकी) या समकक्ष* तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव।  केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/ सांविधिक कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :  i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा ii) निम्नलिखित ग्रेड वेतन वाले पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों। i) ग्रेड वेतन रु. 5400/- : 05 वर्ष ii) ग्रेड वेतन रु. 4800/- : 06 वर्ष	<b>चयन समिति का गठन :</b> (i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक : अध्यक्ष केन्द्र के मामले में निदेशक (ii) डीईआईटीवाई या इसके किसी घटक : सदस्य कार्यालय से वैज्ञानिक 'ई' से अन्यून स्तर का एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी जिसका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाना है। (iii) नाइलिट से वैज्ञानिक 'ई' से अन्यून स्तर : सदस्य का एक अधिकारी जिसका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा (iv) संबंधित क्षेत्र से दो बाहरी विशेषज्ञ : सदस्य जो भारत सरकार में निदेशक से अन्यून स्तर के हों, जिनका नामांकन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाएगा  <b>टिप्पणी :</b> उपर्युक्त में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।  <b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के तीन सदस्य	लागू नहीं

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के नियम से छूट के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

### नाइलिट

#### भर्ती नियम - वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन	केन्द्रीय	सीधी भर्ती के	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या	सीधी
-----------	---------	----------	---------------	-----	-----------	---------------	--	------	------



01	02	03	04	05	06	07	08	09
वैज्ञानिक/ इंजीनियर 'सी'/ उप निदेशक	66*	वर्ग 'क'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 3: रु. 15,600- 39,100 + ग्रेड वेतन रु. 6600	चयन	लागू नहीं	35 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिकी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं यंत्रिकरण में प्रथम श्रेणी में नियमित बीई/बी.टेक, एम.एस.सी (इलेक्ट्रॉनिकी/ अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी/भौतिकी) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में समकक्ष* अर्हता।</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार/ इलेक्ट्रॉनिकी में एम.टेक/एमई या वीएलएसआई डिजाइन, सूचना सुरक्षा, अन्तर्निर्मित प्रणाली डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरी, कृत्रिम बुद्धि, नेटवर्किंग आदि जैसे सीएस/आईटी/ईसी/इलेक्ट्रॉनिकी में विशेषज्ञता अथवा समकक्ष* अर्हता।</p> <p>अथवा</p> <p>(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी, ईईई, ईएण्डआई एवं संचार/इलेक्ट्रॉनिकी तथा इसके संबद्ध क्षेत्रों जैसे कि कृषि इलेक्ट्रॉनिकी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी, विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी आदि में पीएचडी या वीएलएसआई डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरी, कृत्रिम बुद्धि, नेटवर्किंग जैसे सीएस/आईटी/ईसी/इलेक्ट्रॉनिकी में विशेषज्ञता अथवा समकक्ष*</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>अर्हता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में अनुभव</p> <p>(क) के लिए 4 वर्ष (ख) के लिए 2 वर्ष (ग) के लिए शून्य</p>	भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
								लागू नहीं

\*(वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक = 26, वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर = 26, वैज्ञानिक 'सी' = 14 (10000-15200 / 8000-13500)

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न	पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से
-------------------------------	---	--	--	---

	पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सीधी भर्ती/अवशोषण जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b> कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/ सूचना प्रौद्योगिकी/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं यंत्रिकरण/इलेक्ट्रॉनिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार में बीई/बी.टेक/ एम.एस.सी (इलेक्ट्रॉनिकी/ अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी/ भौतिकी) या समकक्ष* तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव</p> <p>केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :</p> <p>i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा</p> <p>ii) निम्नलिखित ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर पद धारक</p> <p>i) ग्रेड वेतन रु. 5400/- : 05 वर्ष</p> <p>ii) ग्रेड वेतन रु. 4800/- : 06 वर्ष</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b></p> <p>(i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक केन्द्र के मामले में निदेशक : अध्यक्ष</p> <p>(ii) डीईआईटीवाई या इसके किसी घटक कार्यालय से वैज्ञानिक 'ई' से अन्यून स्तर का एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी : सदस्य</p> <p>(iii) नाइलिट के वैज्ञानिक 'ई' से अन्यून स्तर का एक अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य</p> <p>(iv) संबंधित क्षेत्र से दो बाहरी विशेषज्ञ जो भारत सरकार में निदेशक से अन्यून स्तर के हों, जिनका नामांकन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाएगा : सदस्य</p> <p>उपर्युक्त में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।</p> <p><b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के तीन सदस्य</p>	लागू नहीं

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

**डीओईएसीसी सोसायटी  
भर्ती नियम**

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
हिन्दी अधिकारी	01 (2008)	वर्ग "ख"	6500-200-10500/- रु.	चयन	लागू नहीं	30 वर्ष (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p>(i) डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष</p> <p>अथवा</p> <p>डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष</p> <p>अथवा</p> <p>डिग्री स्तर पर विषय के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष</p> <p>अथवा</p> <p>डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष</p> <p>अथवा</p> <p>डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष</p> <p>(ii) हिन्दी में शब्दावली संबंधी कार्यों तथा / अथवा तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अंग्रेजी से हिन्दी तथा इसके विपरीत अनुवाद का 5 वर्षों का अनुभव</p> <p>अथवा</p> <p>हिन्दी में शिक्षण, शोध कार्य, लेखन तथा पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>देवनागरी लिपि में आधुनिक उपकरणों के बारे में जागरूकता</p>	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ

<p>परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>पदोन्नति/सावधि अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्र/राज्य सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी : क) अपने संवर्ग अथवा विभाग में नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक; अथवा ख) अपने संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के पश्चात तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित रु. 5500-रु. 9000 के वेतनमान में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक; अथवा ग) रु. 5000-8000 अथवा समकक्ष से अन्यून वेतनमान (केन्द्रीय डीए पैटर्न) में कार्यरत कर्मचारी तथा डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में निष्णात डिग्री धारक; या डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में शिक्षण एवं परीक्षा के माध्यम से किसी भी विषय में निष्णात की डिग्री तथा हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का छह वर्षों का अनुभव। वांछनीय : तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का हिन्दी से अंग्रेजी तथा इसके विपरीत अनुवाद का तीन वर्षों का अनुभव। टिप्पणी 1- रु. 5000-8000 के वेतनमान में विभागीय कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक भी 8 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर प्रतिनियुक्ति के उम्मीदवारों के साथ विचार किए जाएंगे। यदि नियुक्ति के लिए विभागीय कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक का चयन किया जाता है तो उसे पदोन्नति पर नियुक्त माना जाएगा। टिप्पणी 2- जो विभागीय अधिकारी पदोन्नति की सीधी लाइन पर हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। टिप्पणी 3- इस नियुक्ति से ठीक पहले इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग या केन्द्र सरकार में धारित किसी संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 4- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति (सावधि अनुबंध सहित) के लिए अधिकतम आयु आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि में साधारणतया छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b> (i) कार्यकारी निदेशक : अध्यक्ष (ii) रजिस्ट्रार, डीओईएसीसी : सदस्य (iii) संयुक्त निदेशक, हिन्दी, स्.प्रौ.वि : सदस्य (iv) भारत सरकार में उप सचिव : सदस्य के स्तर से अन्यून दो बाहरी विशेषज्ञ  <b>स्क्रूनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई तीन सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

**डीओईएसीसी सोसायटी  
भर्ती नियम**

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01 (2008)	वर्ग "ग"	5000-150-8000/- रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	28 वर्ष (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य :</b></p> <p>डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष</p> <p align="center">अथवा</p> <p>डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष</p> <p align="center">अथवा</p> <p>डिग्री स्तर पर विषय के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष</p> <p align="center">अथवा</p> <p>डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष</p> <p align="center">अथवा</p> <p>डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>(i) अंग्रेजी से हिन्दी तथा इसके विपरीत अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र</p> <p align="center">अथवा</p> <p>सरकारी संगठन सहित केन्द्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में अंग्रेजी से हिन्दी तथा इसके विपरीत अनुवाद का दो वर्षों का अनुभव</p> <p>(ii) कम्प्यूटर पर हिन्दी सॉफ्टवेयर पैकेजों के प्रचालन का ज्ञान।</p>	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और अधिक पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
एक वर्ष	सावधि अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक।	<b>चयन समिति का गठन :</b> (i) कार्यकारी निदेशक (मुख्या) : अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक (हिन्दी), सू.प्रौ.वि : सदस्य (iii) रजिस्ट्रार, डीओईएसीसी : सदस्य (iv) भारत सरकार में अवर सचिव से अन्यून स्तर के दो बाहरी विशेषज्ञ : सदस्य <b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई दो सदस्य	लागू नहीं

**डीओईएसीसी सोसायटी**  
**भर्ती नियम - वैज्ञानिक एवं तकनीकी**

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
तकनीकी सहायक*	30	वर्ग 'ग'	<b>वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन</b>  पीबी 1 : रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400	चयन	नहीं	27 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों/मानदण्डों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 60% अंक सहित विज्ञान स्नातक की डिग्री/बीसीए अथवा</p> <p>(ख) कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिकी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा (3 वर्ष पूर्णकालीन)</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>अर्हता प्राप्त करने के बाद सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकायों/प्रतिष्ठित उद्योग में संबंधित क्षेत्र में अनुभव</p> <p>(क) से लिए 1 वर्ष</p> <p>(ख) के लिए 2 वर्ष</p>	नहीं

\*(कनिष्ठ इंजीनियर = 08, प्रयोगशाला सहायक = 19, कर्मशाला सहायक = 03)

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा अवशोषण द्वारा और बिभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सीधी भर्ती/अवशोषण द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विज्ञान स्नातक तथा डीओईएसीसी 'ओ' स्तर/बीसीए/ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में 3 वर्षीय डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र में अनुभव  केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी : i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा ii) पीबी 1 : रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900/- में कार्यरत तथा ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा	<b>चयन समिति का गठन :</b> (i) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित नाइलिट के वैज्ञानिक/इंजीनियर 'डी' अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी : अध्यक्ष (ii) संस्थान के वैज्ञानिक/ इंजीनियर 'सी' से अन्यून स्तर का एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी : सदस्य (iii) संबंधित क्षेत्र में वैज्ञानिक/इंजीनियर 'सी' से अन्यून स्तर के दो बाहरी विशेषज्ञ, जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य (iv) डीईआईटीवाई अथवा इसके घटक संगठनों से वैज्ञानिक/इंजीनियर 'सी' से अन्यून स्तर का एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी : सदस्य  नामित सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति/ जनजाति श्रेणी का होना चाहिए  <b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई तीन सदस्य	लागू नहीं

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।



**डीओईएसीसी सोसायटी**  
**भर्ती नियम - वैज्ञानिक एवं तकनीकी**

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
कनिष्ठ तकनीकी सहायक	10*	वर्ग 'ग'	<b>वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन</b>  पीबी 1 : रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900	चयन	नहीं	27 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों/मानदण्डों के अनुसार)	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ से विज्ञान स्नातक/बीसीए अथवा (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंक से साथ किसी भी विषय में स्नातक तथा नाइलिट 'ओ' स्तर का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो अथवा (ख) कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिकी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा (3 वर्ष पूर्णकालीन)  <b>अनुभव :</b> अर्हता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में अनुभव (क) के लिए शून्य (ख) के लिए 1 वर्ष	नहीं

\*(तकनीकी सहायक = 04, हैण्डिमेन = 01, इलेक्ट्रिशियन = 05)

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा अवशोषण तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सीधी भर्ती/ अवशोषण	<p><b>स्थानान्तरण (अवशोषण) के लिए :</b>  <b>अनिवार्य अर्हता :</b>  किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विज्ञान स्नातक तथा डीओईएसीसी 'ओ' स्तर/बीसीए/ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रथम श्रेणी में 3 वर्षीय डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र में अनुभव केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :</p> <p>i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा</p> <p>ii) पीबी 1: रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900/- में कार्यरत तथा ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b></p> <p>(i) वैज्ञानिक/इंजीनियर 'डी' अथवा समकक्ष स्तर : अध्यक्ष का अधिकारी</p> <p>(ii) संस्थान के वैज्ञानिक/ इंजीनियर 'सी' से अन्यून : सदस्य स्तर का एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी, जिसका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा</p> <p>(iii) संबंधित क्षेत्र में वैज्ञानिक/इंजीनियर 'सी' से : सदस्य अन्यून स्तर के दो बाहरी विशेषज्ञ, जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा</p> <p>(iv) डीईआईटीवीई अथवा इसके घटक संगठनों से : सदस्य वैज्ञानिक/इंजीनियर 'सी' से अन्यून स्तर का एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी</p> <p>नामित सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति/ जनजाति श्रेणी का होना चाहिए</p> <p><b>स्क्रीनिंग समिति :</b>  उपर्युक्त चयन समिति के कोई तीन सदस्य</p>	लागू नहीं

नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
उप निदेशक (विधि)		वर्ग 'क'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 3: रु. 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रु. 6600	चयन	लागू नहीं	45 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में नियमित एल.एल.बी (10+2 के बाद 05 वर्ष या स्नातक डिग्री के बाद 03 वर्ष)</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) (2 वर्ष पूर्व कालिक) नियमित के बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में एल.एल.एम।</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>अर्हता प्राप्त करने के बाद उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय में प्रैक्टिस</p> <p>(क) के लिए 3 वर्ष</p> <p>(ख) के लिए 1 वर्ष</p> <p>वांछनीय : सी एल ए टी के माध्यम से अर्हता प्राप्त विधि स्नातकों को वरीयता दी जाएगी।</p>	लागू नहीं

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती/अवशोषण जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>प्रतिनियुक्ति/अवशोषण के मामले में :</b> <b>अनिवार्य अर्हता :</b> एलएलबी तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव। केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी : i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा ii) निम्नलिखित ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर पद धारक हों।  i) ग्रेड वेतन रु. 5400/- : 05 वर्ष ii) ग्रेड वेतन रु. 4800/- : 06 वर्ष</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b> (i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक केन्द्रों के मामले में निदेशक : अध्यक्ष (ii) डीईआईटीवाई या इसके किसी घटक कार्यालय से रु. 8700/- के ग्रेड वेतन में एक अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य (iii) नाइलिट से रु. 8700/- या उससे ऊपर के स्तर का एक गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी जिसका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य (iv) संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार में निदेशक से अन्यून स्तर के दो बाहरी विशेषज्ञ, जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य उपर्युक्त में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।  <b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के तीन सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
सहायक निदेशक (डीबी)	17*	वर्ग 'क'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 3: रु. 15,600- 39,100 + ग्रेड वेतन रु. 5400	चयन	लागू नहीं	40 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ बीएससी/बीसीए तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डीओईएसीसी 'ए' स्तर अथवा (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में एमसीए/एमएससी (आईटी)/कम्प्यूटर विज्ञान/गणित या भौतिकी में एमएससी/बी' अथवा उससे ऊपर के ग्रेड में डीओईएसीसी 'बी' स्तर। <b>अनुभव :</b> अर्हता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में किसी जिम्मेदार पद पर अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष किसी पर्यवेक्षी अथवा प्रबंधकीय पद पर हो। (क) के लिए 5 वर्ष (ख) के लिए 1 वर्ष	लागू नहीं

\*(सहायक निदेशक-प्रशा=02, सहायक निदेशक (वित्त)=02, प्रशासन एवं वित्त अधिकारी=01, संयुक्त प्रबंधक=10, प्रशासनिक अधिकारी=02)

\*\*सीधी भर्ती से भिन्न पद्धति से कार्यग्रहण करने वाले व्यक्ति को पीबी 1 (9300-34800 रु.) + ग्रेड वेतन 5400/- रु. पर रखा जाएगा।

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती/अवशोषण जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b>          किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बीएससी/कम्प्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डीओईएसीसी 'ए' स्तर/ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बीसीए तथा संबंधित क्षेत्र में किसी पर्यवेक्षी/प्रबंधकीय पद पर अनुभव          केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी:          i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा          ii) निम्नलिखित ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर पद धारक।          i) रु. ग्रेड वेतन 4200/- : 08 वर्ष          ii) रु. ग्रेड वेतन 4600/- : 03 वर्ष          iii) रु. ग्रेड वेतन 4800/- : 02 वर्ष</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b>          (i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक अथवा उनके नामिती तथा केन्द्रों के मामले में निदेशक : अध्यक्ष          (ii) डीईआईटीवाई या इसके किसी घटककार्यालय से वैज्ञानिक 'डी' से अन्यून स्तर का एक अधिकारी जिसका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य          (iii) रजिस्ट्रार अथवा नाइलिट में समस्तर का एक अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य          (iv) संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार में उप सचिव से अन्यून स्तर के दो बाहरी विशेषज्ञ, जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य          नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।  <b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 (तीन) सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
सहायक निदेशक (प्रशासन)	17*	वर्ग 'क'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 3: रु. 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं	40 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कार्मिक/मानव संसाधन प्रबंध/औद्योगिक संबंध/श्रम कानून)</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कार्मिक/मानव संसाधन प्रबंध/औद्योगिक संबंध/श्रम कानून)</p> <p>अथवा</p> <p>(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ एमबीए (कार्मिक/मानव संसाधन प्रबंध)</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>अर्हता प्राप्त करने के बाद कार्मिक/स्थापना/प्रशासन के क्षेत्र में किसी जिम्मेदार पद पर अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष अनुभाग अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी के समकक्ष किसी पर्यवेक्षी पद पर हो। कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>(क) के लिए 7 वर्ष</p> <p>(ख) के लिए 5 वर्ष</p> <p>(ग) के लिए 2 वर्ष</p>	नहीं

\*(सहायक निदेशक-प्रशा= 02, सहायक निदेशक (वित्त) = 02, प्रशासन एवं वित्त अधिकारी=01, संयुक्त प्रबंधक=10, प्रशासनिक अधिकारी=02)

\*\*सीधी भर्ती से भिन्न पद्धति से कार्यग्रहण करने वाले व्यक्ति को पीबी 1 (रु. 9300-34800) + ग्रेड वेतन रु. 5400/- पर रखा जाएगा।

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/***प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती/अवशोषण जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b>          किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा सीसीसी या उससे ऊपर के प्रमाण-पत्र वाला कम्प्यूटर ज्ञान और किसी पर्यवेक्षी पद पर कार्मिक/मानव संसाधन/प्रशासन से संबंधित मामलों में कार्य का अनुभव          केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी:          i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा          ii) निम्नलिखित ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर पद धारक।              i) ग्रेड वेतन रु. 4200/- : 08 वर्ष              ii) ग्रेड वेतन रु. 4600/- : 03 वर्ष              iii) ग्रेड वेतन रु. 4800/- : 02 वर्ष  <b>वांछनीय :</b> पद की आवश्यकता के अनुसार कार्मिक/मानव संसाधन प्रबंध/वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b>          (i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक अथवा उनके नामिती तथा केन्द्रों के मामले में निदेशक : अध्यक्ष          (ii) डीईआईटीवाई या इसके किसी घटक कार्यालय के कार्मिक/सामान्य/एबीसीडी प्रभाग से निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर का एक अधिकारी जिसका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य          (iii) रजिस्ट्रार अथवा नाइलिट में समस्तर का एक अधिकारी. जिसका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य          (iv) संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार में उप सचिव से अन्यून स्तर के दो बाहरी विशेषज्ञ, जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य          नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।  <b>स्क्रिनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 (तीन) सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

\*\*\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।



नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
सहायक निदेशक (वित्त)/लेखा अधिकारी	2	वर्ग 'क'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 3: रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं	40 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री के साथ सीए/आईसीडब्ल्यूए तथा स्नातक एवं सीए/आईसीडब्ल्यूए दोनों में ही कम से कम 60% अंक</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 60% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एम. बी. ए. (वित्त).</p> <p>अथवा</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>अर्हता प्राप्त करने के बाद विशेष रूप में किसी सरकारी संगठन/स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/प्रतिष्ठित औद्योगिक संगठन में वाणिज्यिक वित्त एवं लेखा के क्षेत्र में किसी जिम्मेदार/पर्यवेक्षी पद पर अनुभव तथा कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।</p> <p>(क) के लिए 2 वर्ष</p> <p>(ख) के लिए 5 वर्ष</p>	नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/***प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
एक वर्ष	सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण) जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा सीसीसी या उससे ऊपर के प्रमाण-पत्र वाला कम्प्यूटर जान।</p> <p>केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :</p> <p>i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा</p> <p>ii) पीबी 2 : 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4,800/-रु. या समकक्ष में धारित पद तथा ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा अथवा</p> <p>iii) पीबी 2 : 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4,600/-रु. या समकक्ष में धारित पद तथा ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा अथवा</p> <p>iv) पीबी 2 : 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4,200/-रु. या समकक्ष में धारित पद तथा ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा</p> <p>किसी विशिष्ट स्वायत्त संगठन में लेखा, वित्त, बजट आदि के क्षेत्र में पर्यवेक्षी पद पर अनुभव।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b></p> <p>(i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक अथवा उनके नामिती तथा केन्द्रों के मामले में निदेशक : अध्यक्ष</p> <p>(ii) डीईआईटीवाई के निदेशक (वित्त)/उप वित्तीय सलाहकार : सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य वित्त अधिकारी अथवा नाइलिट में समस्तर का एक अधिकारी (जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा) : सदस्य</p> <p>(iv) संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार में उप सचिव से अन्यून स्तर के दो बाहरी विशेषज्ञ : सदस्य</p> <p>टिप्पणी : नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।</p> <p><b>स्क्रिनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 (तीन) सदस्य</p>	लागू नहीं

\*\*\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
प्रशासनिक अधिकारी	65*	वर्ग 'ख'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 2: रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4600	चयन	लागू नहीं	30 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों/ मानदण्डों के अनुसार)	क) अनिवार्य अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कार्मिक/मानव संसाधन प्रबंध/औद्योगिक संबंध/श्रम कानून) अथवा ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कार्मिक/मानव संसाधन प्रबंध/औद्योगिक संबंध/श्रम कानून) अथवा ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ कार्मिक/मानव संसाधन प्रबंध/श्रम कानून में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा घ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ एमबीए (कार्मिक/मानव संसाधन प्रबंध) <b>अनुभव :</b> अर्हता प्राप्त करने के बाद कार्मिक/स्थापना/प्रशासन के क्षेत्र में किसी जिम्मेदार पद पर अनुभव। कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। (क) के लिए 5 वर्ष (ख) के लिए 3 वर्ष (ग) तथा (घ) के लिए शून्य	लागू नहीं

\* (प्रशासन एवं वित्त अधिकारी=02, लेखा अधिकारी=03, सूचना विश्लेषक=01, पर्यवेक्षक/वरिष्ठ कम्प्यूटर प्रणाली प्रचालक=01, कम्प्यूटर प्रणाली प्रचालक=06, अनुभाग अधिकारी=01, प्रशासनिक अधिकारी-पुस्तकालय प्रभारी=01, सहायक कर्मचारी ग्रेड-IV=10, सहायक=06, सहायक प्रशासनिक अधिकारी=02 कार्यालय सहायक ग्रेड I=09, कार्यालय अधीक्षक=01, बिलिंग अधीक्षक=01, डेटा प्रविष्टि पर्यवेक्षक=03, वरिष्ठ डेटा प्रविष्टि प्रचालक=04, जन सम्पर्क सहायक=01, वरिष्ठ एसी संयंत्र प्रचालक=03, वरिष्ठ कार्यालय सहायक=02, वरिष्ठ भण्डार एवं क्रय सहायक=01, लेखाकार=02, सहायक लेखा अधिकारी=01, वरिष्ठ लेखा सहायक=04)

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/***प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण) जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा सीसीसी या उससे ऊपर के प्रमाण-पत्र वाला कम्प्यूटर ज्ञान तथा कार्मिक/मानव संसाधन/प्रशासन से संबंधित मामलों में कार्य का अनुभव।</p> <p>केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :</p> <p>i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा</p> <p>ii) पीबी 2 : रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4,200/- में धारित पद तथा 5 वर्षों की नियमित सेवा।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b></p> <p>(i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक अथवा उनके नामिती तथा केन्द्रों के मामले में निदेशक : अध्यक्ष</p> <p>(ii) रजिस्ट्रार/प्रशासन प्रमुख (केन्द्रों के मामले में उप निदेशक से अन्यून स्तर) : सदस्य</p> <p>(iii) संस्थान का एक अधिकारी (संयुक्त निदेशक से अन्यून स्तर जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा) : सदस्य</p> <p>(iv) संस्थान से बाहर संबंधित क्षेत्र से दो बाहरी अधिकारी (उप निदेशक से अन्यून स्तर जिसका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा) : सदस्य</p> <p>टिप्पणी : नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/ जनजाति) से होना चाहिए।</p> <p><b>स्क्रूनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य</p>	लागू नहीं

\*\*\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
वित्त अधिकारी	2	वर्ग 'ख'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 2: रु. 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन रु. 4600	चयन	लागू नहीं	30 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों/मानदण्डों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक की डिग्री तथा वित्त में डिप्लोमा अथवा</p> <p>ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा</p> <p>ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ एमबीए (वित्त) अथवा</p> <p>घ) 60% अंकों के साथ आईसीडब्ल्यूए/सीए</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>अर्हता प्राप्त करने के बाद विशेष रूप में किसी सरकारी संगठन/स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/प्रतिष्ठित औद्योगिक संगठन में वाणिज्यिक वित्त एवं लेखा का अनुभव तथा विशेष रूप से नाइलिट 'सीसीसी' या उच्चतर स्तर का कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>(क) के लिए 5 वर्ष (ख) के लिए 3 वर्ष (ग) तथा (घ) के लिए शून्य</p>	नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण) जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा विशेष रूप से 'सीसीसी' या उससे ऊपर के प्रमाण-पत्र वाला कम्प्यूटर ज्ञान।</p> <p>केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :</p> <p>i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा</p> <p>ii) पीबी 2 : रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4,200/- में पद धारक तथा इस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा और वित्त/लेखा/बजट/लेखा-परीक्षा से संबंधित मामलों में कार्य करने का अनुभव।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b></p> <p>(i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक अथवा उनके नामिती तथा केन्द्रों के मामले में निदेशक : अध्यक्ष</p> <p>(ii) मुख्य वित्त अधिकारी अथवा समस्तर का अधिकारी : सदस्य</p> <p>(iii) संस्थान का एक अधिकारी (संयुक्त निदेशक से अन्यून स्तर जिसका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा) : सदस्य</p> <p>(iv) संस्थान से बाहर संबंधित क्षेत्र से दो बाहरी अधिकारी : सदस्य (उप निदेशक से अन्यून स्तर जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा)</p> <p>टिप्पणी : नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।</p> <p><b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य</p>	लागू नहीं

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
वरिष्ठ सहायक (लेखा)	2	वर्ग 'ख'	<b>वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन</b> वेतन बैंड 2: रु. 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन	नहीं	30 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों/मानदण्डों के अनुसार)	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक की डिग्री तथा वित्त में डिप्लोमा अथवा ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा ग) 60% अंकों के साथ एमबीए (वित्त)  <b>अनुभव :</b> अर्हता प्राप्त करने के बाद विशेष रूप में किसी सरकारी संगठन/स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/प्रतिष्ठित औद्योगिक संगठन में वाणिज्यिक वित्त एवं लेखा का अनुभव तथा विशेष रूप से नाइलिट 'सीसीसी' या उच्चतर स्तर का कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। (क) के लिए 2 वर्ष (ख) तथा (ग) के लिए शून्य	लागू नहीं

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण) जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b>          किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा विशेष रूप से सीसीसी या उससे ऊपर के प्रमाण-पत्र वाला कम्प्यूटर ज्ञान।           केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :          i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा          ii) पीबी 1 : रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 2,800/- में पद धारक तथा इस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा और वित्त/लेखा/बजट/लेखा-परीक्षा से संबंधित मामलों में कार्य करने का अनुभव। अथवा          iii) पीबी 1 : रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 2,400/- में पद धारक तथा इस ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा और वित्त/लेखा/बजट/लेखा-परीक्षा से संबंधित मामलों में कार्य करने का अनुभव।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b>          (i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक अथवा उनके नामिती तथा केन्द्रों के मामले में निदेशक : अध्यक्ष          (ii) मुख्य वित्त अधिकारी अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित समस्तर का अधिकारी : सदस्य          (iii) संस्थान का एक अधिकारी। संयुक्त निदेशक से अन्यून स्तर जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य          (iv) संस्थान से बाहर संबंधित क्षेत्र के उप निदेशक से अन्यून स्तर को दो अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य           टिप्पणी : नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/ जनजाति) से होना चाहिए।   <b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य</p>	<p>नहीं</p>

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।



नाइलिट

भर्ती नियम - पुस्तकालय संवर्ग

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	13	वर्ग 'ख'	<b>वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन</b> वेतन बैंड 2: रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन	लागू नहीं	30 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री तथा नाइलिट 'सीसीसी' या उच्चतर स्तर का कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना अथवा ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से 60% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री  <b>अनुभव :</b> (क) के लिए किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय में 2 वर्ष (ख) के लिए शून्य	लागू नहीं

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण) जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b>          किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री अथवा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा के साथ स्नातक और संबंधित क्षेत्र में अनुभव          केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :          i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा          ii) पीबी 2: रु. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन रु. 2,800/- में कार्यरत तथा 03 वर्षों की नियमित सेवा। अथवा          iii) पीबी 2: रु. 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन रु. 2,400/- में कार्यरत तथा 06 वर्षों की नियमित सेवा।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b>          (i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक अथवा उनके नामिती तथा केन्द्रों के मामले में निदेशक : अध्यक्ष          (ii) रजिस्ट्रार/मुख्य वित्त अधिकारी अथवा समस्तर का अधिकारी : सदस्य          (iii) संस्थान के संयुक्त निदेशक से अन्यून स्तर का एक अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य          (iv) संस्थान से बाहर संबंधित क्षेत्र के उप निदेशक से अन्यून स्तर के दो अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य          टिप्पणी : नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।  <b>स्त्रीनिर्गम समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

नाइलिट

भर्ती नियम - सचिवालय संवर्ग

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
स्वागतकर्ता/फ्रंट ऑफिस परामर्शकर्ता	4	वर्ग 'ख'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 2: रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन	लागू नहीं	27 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक अथवा समकक्ष तथा नाइलिट 'सीसीसी' या उच्चतर स्तर का कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना <b>अनुभव :</b> अर्हता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष <b>वांछनीय :</b> जन सम्पर्क/विपणन में डिप्लोमा।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: कालम 8 में यथा उल्लिखित

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
एक वर्ष	सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण) जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b>          किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा विशेष रूप से 'सीसीसी' या उससे ऊपर के प्रमाण-पत्र वाला कम्प्यूटर ज्ञान तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव।          केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी:</p> <p>i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक          अथवा</p> <p>ii) पीबी 1 : रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2,800/- में कार्यरत तथा ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा।          अथवा</p> <p>iii) पीबी 1 : रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2,400/- में कार्यरत तथा ग्रेड में 06 वर्षों की नियमित सेवा।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b></p> <p>(i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक : अध्यक्ष तथा केन्द्रों के मामले में निदेशक</p> <p>(ii) मुख्यालय के मामले में रजिस्ट्रार तथा केन्द्रों के : सदस्य मामले में प्रशासन प्रमुख (उप निदेशक के स्तर से अन्यून)</p> <p>(iii) संस्थान के उप निदेशक से अन्यून स्तर का एक : सदस्य अधिकारी जिसका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा</p> <p>(iv) संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार के उप निदेशक से : सदस्य अन्यून स्तर के दो बाहरी विशेषज्ञ जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा</p> <p>टिप्पणी : नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।</p> <p><b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य</p>	लागू नहीं

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
सहायक (लेखा)	02	वर्ग 'ग'	<b>वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन</b> वेतन बैंड 1: रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400	चयन	नहीं	27 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों/मानदण्डों के अनुसार)	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक तथा नाइलिट सीसीसी या उच्चतर स्तर का कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान भी होना चाहिए। <b>वांछनीय :</b> नाइलिट 'ओ' स्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।	लागू नहीं

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण) जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b>          किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा विशेष रूप से सीसीसी या उससे ऊपर के प्रमाण-पत्र वाला कम्प्यूटर ज्ञान।          केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :          i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा          ii) पीबी 1 : रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 1,900/- में पद धारक तथा ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्षों की नियमित सेवा और वित्त/लेखा/बजट/लेखा-परीक्षा से संबंधित मामलों में कार्य करने का अनुभव।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b>          (i) मुख्यालय के मामले में मुख्य वित्त अधिकारी तथा केन्द्रों के मामले में संयुक्त निदेशक से स्तर से अन्यून वित्त प्रमुख : अध्यक्ष          (ii) संस्थान के दो अधिकारी (उप निदेशक के स्तर से अन्यून जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा) : सदस्य          (iii) संबंधित क्षेत्र के संस्थान से बाहर उप निदेशक से अन्यून स्तर के दो अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य          टिप्पणी : नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।  <b>स्क्रिनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
सहायक	55*	वर्ग 'ग'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 1: रु. 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन रु. 2400	चयन	नहीं	27 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों/मानदण्डों के अनुसार)	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक अथवा समकक्ष तथा नाइलिट 'सीसीसी' या उच्चतर स्तर का कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। <b>अनुभव :</b> अर्हता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में 01 वर्ष का अनुभव। <b>वांछनीय :</b> नाइलिट 'ओ' स्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।	लागू नहीं

\* (स्वागतकर्ता-एवं-टेलीफोन प्रचालक=04, वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ टाइपिस्ट=11, केयरटेकर=01, रोकड़िया=01, डेटा प्रविष्टि प्रचालक=07, एसी संयंत्र प्रचालक=02, वरिष्ठ आई./ओ. सहायक=01, टेप-एवं-बुक पुस्तकालयाध्यक्ष=01, समर्थक कर्मचारी ग्रेडा=07, कार्यालय सहायक ग्रेडा=16, अभिलेख प्रबंध सहायक=02, लेखा सहायक=02)

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण) जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b>          किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा विशेष रूप से सीसीसी या उससे ऊपर के प्रमाण-पत्र वाला कम्प्यूटर ज्ञान और संबंधित क्षेत्र में अनुभव।          केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :          i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा          ii) पीबी 1 : रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 1,900/- में कार्यरत तथा ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा।  <b>वांछनीय :</b> नाइलिट 'ओ' स्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b>          (i) मुख्यालय के मामले में रजिस्ट्रार तथा केन्द्रों के : अध्यक्ष में संयुक्त निदेशक (प्रशा.) अथवा समस्तर का अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा          (ii) संस्थान के उप निदेशक/ वैज्ञानिक 'सी' से : सदस्य अन्यून स्तर के दो अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा          (iii) संबंधित क्षेत्र के उप निदेशक से अन्यून स्तर के : सदस्य संस्थान से बाहर के दो अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा          टिप्पणी : नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।  <b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।



नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
आशुलिपिक	22*	वर्ग 'ग'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 1: रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400	चयन	नहीं	27 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों/मानदण्डों के अनुसार)	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में स्नातक तथा अंग्रेजी/हिन्दी में 100/80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि का ज्ञान और विशेष रूप से नाइलिट 'सीसीसी' या उच्चतर स्तर का कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। <b>वांछनीय :</b> I. अनुरूपी वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। II. नाइलिट 'ओ' स्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।	लागू नहीं

\* (आशुलिपिक ग्रेड II/स्टेनो टाइपिस्ट=04, वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक=09, निदेशक के वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक=09)

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण) जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b>          किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव।           केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :          i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा          ii) पीबी 1 : रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 1,900/- में कार्यरत तथा ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा तथा अंग्रेजी/हिन्दी में 100/80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि का ज्ञान।  <b>वांछनीय :</b>          i) अनुरूपी वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव।          ii) नाइलिट 'ओ' स्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b>          (i) मुख्यालय के मामले में रजिस्ट्रार/मुख्य वित्त अधिकारी : अध्यक्ष तथा केन्द्रों के मामले में संयुक्त निदेशक (प्रशा./वित्त) अथवा समस्तर का अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा          (ii) संस्थान के उप निदेशक/ वैज्ञानिक 'सी' से अन्यून : सदस्य स्तर के दो अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा          (iii) संबंधित क्षेत्र के संस्थान से बाहर के दो अधिकारी : सदस्य (उप निदेशक से अन्यून स्तर जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा)           टिप्पणी : नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।   <b>स्क्रिनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
कनिष्ठ सहायक	66*	वर्ग 'ग'	<b>वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन</b> वेतन बैंड 1: रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900/-	चयन	नहीं	27 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों/मानदण्डों के अनुसार)	<b>अनिवार्य अर्हता :</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में स्नातक तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग का ज्ञान और विशेष रूप से नाइलिट 'सीसीसी' या उच्चतर स्तर का कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। <b>वांछनीय :</b> नाइलिट 'ओ' स्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।	लागू नहीं

\* (स्वागतकर्ता=01, समर्थक कर्मचारी एसा =19, कार्यालय सहायक ग्रेड II=33, कनिष्ठ लिपिक=08, आई/ओ सहायक=04, डुप्लिकेटिंग प्रचालक=01)

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण) जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b>          किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक।          केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/सांविधिक कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी :          i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा          ii) पीबी 1 : रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 1,800/- में कार्यरत तथा इस ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग का ज्ञान।          विशेष रूप से नाइलिट 'सीसीसी' या उच्चतर स्तर का कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b>          (i) मुख्यालय के मामले में रजिस्ट्रार/मुख्य वित्त अधिकारी तथा केन्द्रों के मामले में संयुक्त निदेशक (प्रशा./वित्त) अथवा समस्तर का अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा          (ii) संस्थान के दो अधिकारी उप निदेशक/ वैज्ञानिक 'सी' से अन्यून : सदस्य          स्तर नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा          (iii) संबंधित क्षेत्र संस्थान से बाहर के दो अधिकारी : सदस्य (उप निदेशक से अन्यून स्तर जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा)          टिप्पणी : नामित सदस्यों में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।  <b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

**डीओईएसीसी सोसायटी**

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कार्यकारी निदेशक	एक (2005)	वर्ग 'क'	18,400-500-22,400/- रु.	लागू नहीं

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ
(6)	(7)	(8)
नहीं	55 वर्ष (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	क) पीएचडी (इंजिनियरिंग/विज्ञान) तथा 15 वर्षों का अनुभव अथवा ख) सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार प्रौद्योगिकी/विद्युत/मेकेनिकल/उत्पादन/ औद्योगिक डिजाइन आदि के क्षेत्र में एम.टेक/एम.ई या समकक्ष अर्हता तथा 20 वर्षों का अनुभव अथवा ग) सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार प्रौद्योगिकी/विद्युत/मेकेनिकल/उत्पादन/ औद्योगिक डिजाइन आदि में बी.ई./बी.टेक/बी.एस.सी. इंजीनियरी या समकक्ष तथा 25 वर्षों का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण)/प्रतिनियुक्ति। नियुक्ति 5 वर्षों से अनधिक अवधि अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
(12)	(13)	(14)
केन्द्र/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारियों के स्थानान्तरण (अवशोषण)/ प्रतिनियुक्ति के मामले में : i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा रु. 16400-450-20000 के वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा ii) कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए।	खोज एवं चयन समिति - गठन : क) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग : अध्यक्ष ख) एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/शिक्षाविद : सदस्य ग) सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय : सदस्य घ) किसी सरकारी विभाग से अपर सचिव स्तर के अधिकारी : सदस्य ड) संबंधित क्षेत्र के एक बाहरी विशेषज्ञ : सदस्य	लागू नहीं

**डीओईएसीसी सोसायटी**

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक *	आठ (2005)	वर्ग 'क' (ईटी VI)	18,400-500-22,400/- रु.	लागू नहीं

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ
(6)	(7)	(8)
नहीं	50 वर्ष (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	क) पीएचडी (इंजीनियरी/विज्ञान) तथा 10 वर्षों का अनुभव अथवा ख) सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार प्रौद्योगिकी/विद्युत/मेकेनिकल/उत्पादन/ औद्योगिक डिजाइन आदि के क्षेत्र में एम.टेक/एम.ई या समकक्ष अर्हता तथा 15 वर्षों का अनुभव अथवा ग) सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी संचार प्रौद्योगिकी/विद्युत/मेकेनिकल/उत्पादन/ औद्योगिक डिजाइन आदि में बी.ई./बी.टेक/बी.एस.सी. इंजीनियरी या समकक्ष तथा 20 वर्षों का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सीधी भर्ती/स्थानान्तरण (अवशोषण) जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
(12)	(13)	(14)
केन्द्र/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारियों के स्थानान्तरण(अवशोषण)/ प्रतिनियुक्ति के मामले में : i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा रु. 16400-450-20000 रु. के वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा ii) कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता।	खोज एवं चयन समिति - गठन : च) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग : अध्यक्ष छ) एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक : सदस्य ज) सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय : सदस्य झ) किसी सरकारी विभाग से अपर सचिव स्तर के अधिकारी : सदस्य ञ) दूसरे वैज्ञानिक विभाग के सचिव : सदस्य	लागू नहीं

\* केन्द्र प्रमुख होगा

डीओईएसीसी सोसायटी

भर्ती नियम - वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं।	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
निदेशक	01	'क'	16400-450-20000	चयन	लागू नहीं	45 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर/ संचार प्रौद्योगिकी/विद्युत/मेकेनिकल/उत्पादन/ औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्र में बी.ई./बी.टेक/ एमएससी/ एमसीए/ डीओईएसीसी 'बी' स्तर अथवा समकक्ष डिग्री।</p> <p><b>अनुभव :-</b> सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर/संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्योग/शैक्षिक/शिक्षा संबंधी अनुसंधान/प्रबंध में 15 वर्ष।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रौद्योगिकी/विद्युत/मेकेनिकल/ उत्पादन/ औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्र में एम.ई./एम.टेक की डिग्री।</p> <p><b>अनुभव :-</b> सूचना/इलेक्ट्रॉनिक्स/संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्योग/ शैक्षिक/शिक्षा संबंधी अनुसंधान/प्रबंध में 12 वर्ष।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विज्ञान/इंजीनियरी में पीएचडी।</p> <p><b>अनुभव :-</b> उपर्युक्त क्षेत्र में 10 वर्ष (ऊपर उल्लिखित अनुभव में से कम से कम 3 वर्ष तत्काल निचले स्तर अर्थात् रु. रु. 14,300-18,300 के वेतनमान अथवा समकक्ष में होना चाहिए)।</p>	लागू नहीं

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सावधि अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>	<p>केन्द्र/राज्य सरकारों/ अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के मामले में :</p> <p>i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा 14,300-18,300 रु. के वेतनमान अथवा समकक्ष स्तर में 5 वर्षों की नियमित सेवा</p> <p>ii) कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता तथा सूचना/इलेक्ट्रॉनिकी/संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्योग/शैक्षिक/शिक्षा संबंधी अनुसंधान/प्रबंध में अनुभव।</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- अपर सचिव अथवा समकक्ष स्तर, डीआईटी : अध्यक्ष</li> <li>- संस्था के प्रमुख : सदस्य</li> <li>- एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अथवा संबंधित क्षेत्र में संस्था से बाहर का विशेषज्ञ (संयुक्त सचिव, भारत सरकार से अन्यून स्तर) : सदस्य</li> <li>- संबंधित क्षेत्र में शैक्षिक संस्थान का एक विशेषज्ञ (संयुक्त सचिव, भारत सरकार से अन्यून स्तर) : सदस्य</li> </ul> <p><b>स्क्रिनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>



**डीओईएसीसी सोसायटी**  
**भर्ती नियम - वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी**

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
मुख्य परीक्षा नियंत्रक	01	'क'	16400-450-20000	चयन	लागू नहीं	45 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ सूचना इलेक्ट्रॉनिकी/कम्प्यूटर/ संचार प्रौद्योगिकी/विद्युत/मेकेनिकल/ उत्पादन/ औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्र में बी.ई./बी.टेक/ एमएससी/एमसीए/ डीओईएसीसी 'बी' स्तर अथवा समकक्ष डिग्री।</p> <p><b>अनुभव :-</b> सूचना/इलेक्ट्रॉनिकी/कम्प्यूटर/संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शैक्षिक/शिक्षा संबंधी अनुसंधान/प्रबंध में 15 वर्ष।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी/विद्युत/मेकेनिकल/ उत्पादन/ औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्र में एम.ई./एम.टेक की डिग्री।</p> <p><b>अनुभव :-</b> सूचना/इलेक्ट्रॉनिकी/संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शैक्षिक/शिक्षा संबंधी अनुसंधान/प्रबंध में 12 वर्ष।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विज्ञान/इंजीनियरी में पीएचडी।</p> <p><b>अनुभव :-</b> उपर्युक्त क्षेत्र में 10 वर्ष</p> <p>(ऊपर उल्लिखित अनुभव में से कम से कम 3 वर्ष तत्काल निचले स्तर अर्थात् रु. 14,300-18,300 रु. के वेतनमान अथवा समकक्ष में होना चाहिए)।</p> <p><b>वांछनीय :</b> i) शैक्षिक संस्थानों में कार्य करने तथा परीक्षाओं के आयोजन/ प्रबंध का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति।</p> <p>ii) पूर्ण सत्यनिष्ठा से कार्य करने का रिकार्ड तथा सख्त गोपनीयता बरतने की साबित क्षमता रखने वाले व्यक्ति।</p>	लागू नहीं
परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति: सीधी		पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले			यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन		भर्ती करने के

यदि कोई हो	भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है		लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सावधि अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्र/राज्य सरकारों/ अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के मामले में : i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा रु. 14,300-18,300 रु. के वेतनमान अथवा समकक्ष स्तर में 5 वर्षों की नियमित सेवा  ii) ऊपर कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता तथा सूचना/इलेक्ट्रॉनिकी/संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शैक्षिक/शिक्षा संबंधी अनुसंधान/प्रबंध में अनुभव।  <b>वांछनीय</b> : सरकारी मामलों में पूर्ण सत्यनिष्ठा से कार्य करने का रिकार्ड तथा सख्त गोपनीयता बरतने की साबित क्षमता।	<b>चयन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :</b> - अपर सचिव अथवा समकक्ष स्तर, डीआईटी : अध्यक्ष - संस्था के प्रमुख : सदस्य - एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अथवा संबंधित क्षेत्र में संस्था से बाहर का विशेषज्ञ (संयुक्त सचिव, भारत सरकार से अन्यून स्तर) - संबंधित क्षेत्र में शैक्षिक संस्थान का एक विशेषज्ञ (संयुक्त सचिव, भारत सरकार से अन्यून स्तर)  <b>स्क्रीनिंग समिति</b> : उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य	लागू नहीं

नाइलिट

भर्ती नियम - गैर-वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
मुख्य वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक	02 (2007)	'क'	12000-375-16500	चयन	लागू नहीं	50 वर्ष से अनधिक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष तथा सीए/आईसीडब्ल्यूए/ सीएस/एमबीए (वित्त)/एसएस/जेएओ (सीएण्डएजी/सीजीए द्वारा आयोजित परीक्षा)</p> <p><b>अनुभव :</b> सीए/आईसीडब्ल्यूए/ सीएस/एमबीए (वित्त) की अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के मामले में 12 वर्ष (एसएस/जेएओ की अर्हता प्राप्त तथा वाणिज्यिक लेखा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में मामले में 15 वर्ष) का सरकारी, स्वायत्तशासी निकायों अथवा प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन/उद्योग में वित्तीय/लेखा, बजटीय नियंत्रण से संबंधित कार्यों का अनुभव जिसमें से 7 वर्ष पर्यवेक्षी जिम्मेदार पद पर कार्य किया हो (कम से कम 3 वर्ष रु. 10000-325-15200/- के वेतनमान अथवा समकक्ष के तत्काल निचले पद पर कार्य)।</p>	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/*प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा	प्रतिनियुक्ति/अवशोषण के मामले में : केन्द्र/राज्य सरकारों/अन्य सरकारी संगठनों के अधिकारी : नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा रु. 10000-325-15200/- रु. के वेतनमान (संशोधन पूर्व) अथवा समकक्ष में 5 वर्षों की नियमित सेवा तथा सरकारी, स्वायत्तशासी निकायों अथवा प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन/उद्योग में कार्य करने का अनुभव तथा वित्तीय/लेखा, बजटीय नियंत्रण से संबंधित मामलों में वाणिज्यिक कार्यों का ज्ञान। ii) सीधी भर्ती के लिए कालम 8 में निर्धारित अर्हता अर्हता हो।	<b>चयन समिति का गठन :</b> * - संस्था के प्रमुख : अध्यक्ष - निदेशक, वित्त, इले. और सू.प्रौ. विभाग : सदस्य - नाइलिट केन्द्र का निदेशक : सदस्य - संस्थान से बाहर संबंधित क्षेत्र का एक विशेषज्ञ : सदस्य (निदेशक, भारत सरकार से अन्यून स्तर) <b>स्क्रूनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 3 सदस्य	लागू नहीं

\*इलवेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के पत्र सं. 5(6)/2012-एबीसीडी द्वारा संशोधित।

विभिन्न प्रशासनिक / वित्तीय पदों को सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भरे जाने के मानदण्ड

सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति/अवशोषण
<p>1. रजिस्ट्रार (वेतनमान रु.14,300-18,300/-) (प्रवर ग्रेड)</p> <p>क) आयु : 50 वर्ष से अनधिक</p> <p>ख) किसी भी विषय क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा स्नातक तथा प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। उन्हें कार्मिक प्रबंध, श्रम कानून के क्षेत्र में किसी जिम्मेदार पद पर 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। उन्हें वरिष्ठ स्तर की बैठकें आयोजित करने का अनुभव होना चाहिए तथा सरकारी कार्य पद्धति की जानकारी होनी चाहिए तथा संस्थाओं की कार्यप्रणाली, बजट तैयार करने एवं संबंधित मामलों का ज्ञान होना चाहिए।</p>	<p>क) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में अनुरूपी पद धारित करने वाले व्यक्ति।</p> <p>अथवा</p> <p>ख) रु.12,000-16,500/- रु. के वेतनमान में कार्य करने वाले व्यक्ति तथा ग्रेड एवं संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव।</p>
<p>2. रजिस्ट्रार (वेतनमान रु.12,000-16,500/-)</p> <p>क) आयु : 50 वर्ष से अनधिक</p> <p>ख) किसी भी विषय क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा स्नातक तथा प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। उन्हें कार्मिक प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, श्रम कानून के क्षेत्र में किसी जिम्मेदार पद पर 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। उन्हें वरिष्ठ स्तर की बैठकें आयोजित करने का अनुभव होना चाहिए तथा सरकारी कार्य पद्धति की जानकारी होनी चाहिए तथा संस्थाओं की कार्यप्रणाली, बजट तैयार करने एवं संबंधित मामलों का ज्ञान होना चाहिए।</p>	<p>क) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में अनुरूपी पद धारित करने वाले व्यक्ति।</p> <p>अथवा</p> <p>ख) रु.10,000-15,200/- रु. के वेतन में कार्य करने वाले व्यक्ति तथा ग्रेड एवं संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव।</p>
<p>3. रजिस्ट्रार (वेतनमान रु.10,000-15,200/-)</p> <p>क) आयु : 50 वर्ष से अनधिक</p> <p>ख) स्नातक तथा प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। उन्हें कार्मिक प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, श्रम कानून के क्षेत्र में किसी जिम्मेदार पद पर 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।</p>	<p>क) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में अनुरूपी पद धारित करने वाले व्यक्ति।</p>

**डीओईएसीसी योसायटी**

**भर्ती नियम**

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
हिन्दी टाइपिस्ट/ कार्यालय सहायक-III	01 (2008)	वर्ग "ग"	3050-75-3950-80-4590/- रु.	चयन	लागू नहीं	18-27 वर्ष (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<b>अनिवार्य :</b> क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा ख) हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग ग) कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान <b>वांछनीय :</b> क) अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान ख) किसी वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव	आयु : नहीं अनिवार्य अर्हता : हाँ

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	पदोन्नति द्वारा अथवा सावधि अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	<b>पदोन्नति :</b> वर्ग 'घ' के कर्मचारी जिन्होंने ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की है तथा कालम 8 में निर्दिष्ट अनिवार्य अर्हता प्राप्त हो लेकिन उन्हें सोसायटी/केन्द्र द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा।	<b>चयन समिति का गठन :</b> (i) रजिस्ट्रार : अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक (एबीसीडी प्रभाग, सू.प्रौ.वि) : सदस्य (iii) संयुक्त निदेशक (हिन्दी), सू.प्रौ.वि : सदस्य (iv) भारत सरकार में अनुभाग अधिकारी से अन्यून स्तर के दो बाहरी सदस्य : सदस्य <b>स्त्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के कोई 2 सदस्य	लागू नहीं

नाइलिट

भर्ती नियम - वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
वैज्ञानिक/ इंजीनियर 'बी'/ सहायक निदेशक	151*	वर्ग 'क'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 3: 15,600- 39,100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं	30 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/सूचना प्रौद्योगिकी/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं यंत्रिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार या समकक्ष में प्रथम श्रेणी में नियमित बीई/बी.टेक।</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी (इलेक्ट्रॉनिकी/अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी/भौतिकी)।</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>अर्हता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में अनुभव</p> <p>(क) के लिए शून्य</p> <p>(ख) के लिए 1 वर्ष</p>	लागू नहीं

\*(वैज्ञानिक 'बी'=06, वरिष्ठ विश्लेषक=53, प्रणाली इंजीनियर=13, विपणन कार्यकारी=05, डिजाइन इंजीनियर=67, कर्मशाला पर्यवेक्षक=07)

<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p><b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत</p>	<p>पदोन्नति/**प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण किया जाना है</p>	<p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन</p>	<p>भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा</p>
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती/अवशोषण जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति</p>	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b> कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/ सूचना प्रौद्योगिकी/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं यंत्रिकरण/इलेक्ट्रॉनिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार में बीई/बी.टेक या एम.एस.सी (इलेक्ट्रॉनिकी/ अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी/ भौतिकी) या समकक्ष* तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव  केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/ सांविधिक कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी : i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा ii) निम्नलिखित ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर धारित पद i) ग्रेड वेन 4800/- रु. : 02 वर्ष ii) ग्रेड वेतन 4600/- रु. : 03 वर्ष</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b> (i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक केन्द्र के मामले में निदेशक : अध्यक्ष (ii) डीईआईटीवाई या इसके किसी घटक कार्यालय से वैज्ञानिक 'डी' से अन्यून स्तर का एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी : सदस्य (iii) नाइलिट के वैज्ञानिक 'डी' से अन्यून स्तर का एक अधिकारी जिनका नामांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा : सदस्य (iv) संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार में निदेशक से अन्यून स्तर से के दो बाहरी विशेषज्ञ जिनका नामांकन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाएगा : सदस्य  उपर्युक्त में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।  <b>स्त्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के तीन सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>

\*\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।



नाइलिट

भर्ती नियम - वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत क्या अतिरिक्त सेवावधि के लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा अन्य अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
वैज्ञानिक/ इंजीनियर 'डी'/ सयुक्त निदेशक	22*	वर्ग 'क'	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन वेतन बैंड 3: 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं	40 वर्ष तक (छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार)	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b></p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिकी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं यंत्रिकी में प्रथम श्रेणी में नियमित बीई/बी.टेक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी (इलेक्ट्रॉनिकी/अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी/ भौतिकी) या समकक्ष* अर्हता।</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार/ इलेक्ट्रॉनिकी में एम.टेक/एम.ई या वीएलएसआई डिजाइन, सूचना सुरक्षा, अन्तर्निर्मित प्रणाली डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरी, कृत्रिम बुद्धि, नेटवर्किंग आदि जैसे सीएस/आईटी/ईसी/इलेक्ट्रॉनिकी में विशेषज्ञता अथवा समकक्ष* में प्रथम श्रेणी में अर्हता।</p> <p>अथवा</p> <p>(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी, ईईईई, ईएण्डआई एवं संचार/इलेक्ट्रॉनिकी तथा इसके संबद्ध क्षेत्रों जैसे कि कृषि इलेक्ट्रॉनिकी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी, विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी आदि में पीएचडी या वीएलएसआई डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरी, कृत्रिम बुद्धि, नेटवर्किंग जैसे सीएस/आईटी/ईसी/इलेक्ट्रॉनिकी में विशेषज्ञता अथवा समकक्ष* अर्हता।</p> <p><b>अनुभव :</b></p> <p>अर्हता प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में अनुभव</p> <p>(क) से लिए 8 वर्ष</p> <p>(ख) के लिए 6 वर्ष</p> <p>(ग) के लिए 4 वर्ष</p>	लागू नहीं

\*(प्रणाली प्रबंधक=03, पीडीई/प्रधान प्रणाली विश्लेषक/वैज्ञानिक 'डी'=19)

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अवशोषण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/**प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग/सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष	सीधी भर्ती/अवशोषण जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति	<p><b>अनिवार्य अर्हता :</b> कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी/ सूचना प्रौद्योगिकी/विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं यंत्रिकरण/इलेक्ट्रॉनिकी/ इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार में बीई/बी.टेक या एम.एस.सी (इलेक्ट्रॉनिकी/ अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी/ भौतिकी) या समकक्ष* तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव</p> <p>केन्द्र/राज्य सरकारों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ/ सांविधिक कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी:</p> <p>i) नियमित रूप में अनुरूपी पद धारक अथवा</p> <p>ii) ग्रेड वेतन 6600/- रु. में 05 वर्षों की सेवा से नियमित आधार पर धारित पद</p>	<p><b>चयन समिति का गठन :</b></p> <p>(i) मुख्यालय के मामले में प्रबंध निदेशक केन्द्रों के मामले में निदेशक : अध्यक्ष</p> <p>(ii) डीईआईटीवाई या इसके किसी घटक कार्यालय से वैज्ञानिक 'एफ' से अन्यून स्तर के दो वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी : सदस्य</p> <p>(iii) संबंधित क्षेत्र में भारत सरकार में 8900/- रु. या उससे अधिक ग्रेड वेतन में दो बाहरी विशेषज्ञ जिनका नामांकन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाएगा : सदस्य</p> <p>उपर्युक्त में से एक सदस्य आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति) से होना चाहिए।</p> <p><b>स्क्रीनिंग समिति :</b> उपर्युक्त चयन समिति के तीन सदस्य</p>	लागू नहीं

\*\*प्रतिनियुक्ति सरकारी संगठनों जैसे कि स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मात्र दो कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य, जिनके मामले में स्थायी अवशोषण के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।